संख्या: 04 /2024 /116 /सत्रह-म-2024 -17-1099/129/2023

प्रेषक,

हरीश कुमार
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 01-02-24 ~~जनवरी, 2024~~

विषय: मत्स्य निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों पर श्रमिक की मजदूरी एवं मा0 मंत्री जी मत्स्य के शासकीय कार्यालय/ आवास पर तैनात होमगार्डों के पारिश्रमिक हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-220 /तक0 शा0/2023-24 दिनांक 07.11.2023 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 03 अनुसंधान सामान्य के मानक मद- 01 वेतन मद से सभावित बचत की धनराशि रू0 8.50 लाख को अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य के मानक मद 02- मजदूरी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 03 अनुसंधान सामान्य के मानक मद- 01 वेतन मद से सभावित बचत से अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य के मानक मद 02-मजदूरी मद हेतु वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत रू0 4.00 लाख (रू0 चार लाख मात्र) की धनराशि का पुनर्विनियोग करते हुए संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बचत की जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) भविष्य में इस प्रकार के मदों के व्यय पर मितव्ययिता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(7) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(8) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च 2023 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रूपये 4.00 लाख (रू0 चार लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य के मानक मद 02- मजदूरी मद के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न आर.ई.संख्या –बजट-1- 333, दिनाँक 17.01.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक – प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:०५/२०२५ 116 (1)/सत्रह-म-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।

4- संयुक्त निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3

8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A017-20232024-17-1099-129-2023

विषय:- मत्स्य निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों पर श्रमिक की मजदूरी एवं माननीय मंत्री जी मत्स्य विभाग के कार्यालय/ आवास पर तैनात होगार्डो के पारिश्रमिक हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 8.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	2405008000300 (अनुसंधान -सामान्य)	01 (वेतन)	60,95,64,000 रुपये साठ करोड़ पंचानबे लाख चौंसठ हजार मात्र	6,12,00,000 रुपये छह करोड़ बारह लाख मात्र	8,40,000 रुपये आठ लाख चालीस हजार मात्र	- 400000 - 60,91,164000		2023-2024
कुल					₹ 8,40,000	₹ 0		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	2405008000300 (अनुसंधान -सामान्य)	02 (मजदूरी)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	8,40,000 रुपये आठ लाख चालीस हजार मात्र	- 400000	- 700000	2023-2024
कुल				₹ 8,40,000	₹ 0		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. बचत की जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।
2. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

I/483845/2024

संख्या: -2023-24, दिनांक- दिसंबर,2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश प्रयागराज

हरीश कुमार

अनु सचिव

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 17-01-2024 13:33:37
Reason: Approved

संख्या : / , दिनांक- दिसंबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ
4-मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- संयुक्त निदेशक मत्स्य /उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल

आज्ञा से

हरीश कुमार
अनु सचिव